



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2013-वैशाख 13, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम उपनाम सहित वन्दना सक्सेना (VANDNA SAXENA) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उपनाम सहित आफरीन बेगम (AFREEN BEGUM) हो गया है. अतः अब मुझे अपने नये नाम उपनाम सहित आफरीन बेगम (AFREEN BEGUM) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(वन्दना सक्सेना)
(VANDNA SAXENA)

नया नाम :

(आफरीन बेगम)
(AFREEN BEGUM)

म. नं. 24, यासीन महल, परिगेट भोपाल (म. प्र.).

(26-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, निलमपंजाबी ने विवाहो-परान्त अपना नाम परिवर्तन कर जीया चिमनानी कर लिया है. अतः अब से मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(निलमपंजाबी)

नया नाम :

(जीया चिमनानी)

12/1 नार्थ राजमोहल्ला, इन्दौर (म. प्र.).

(27-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अंजली ने विवाह उपरान्त अपना नाम परिवर्तन कर कुंदन जैन कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(अंजली)

नया नाम :

(कुंदन जैन)

247, उषा नगर एक्सटेंशन,
इन्दौर (म. प्र.).

(29-बी.)

CHANGE IN NAME

I, Girish Vasaini S/o Naresh Vasaini here by declare that I have change my name as Gaurav Vasaini S/o Naresh Vasaini so, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :
(Girish Vasaini)

New Name :
(Gaurav Vasaini)

S/o Naresh Vasaini,
20, Kranti Kripalani Nagar,
Annapura Mandir Road, Indore (M.P.).

(28-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, मुस्तुफा ने अपना नाम परिवर्तन कर मुस्तुफा महूवाला कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(मुस्तुफा)

नया नाम :

(मुस्तुफा महूवाला)
784, खातीवाला टैंक, इन्दौर (म. प्र.).

(30-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, लोकेशकुमार शाह पिता हीरालाल शाह, निवासी सिंधीपुरा गेट के पास, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मैंने अपने मध्य नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग परिवर्तित कर ली है. अब मैं अपने नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग LOKESH KUMAR SHAH के स्थान पर LOKESH KUUMAR SHAH का उपयोग करता हूँ. मेरी इस घोषणा के पश्चात् से मैं अपने सभी शासकीय, अर्धशासकीय अभिलेखों तथा कार्यालयों में अपनी इसी परिवर्तित अंग्रेजी स्पेलिंग का उपयोग करूंगा.

अतः सूचना जानो.

पुराना नाम :
(LOKESH KUMAR SHAH)

नया नाम :

(LOKESH KUUMAR SHAH)

(31-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनील कुमार महार पिता श्री चंद्रभान जाति महार, निवासी 36 जयभीम नगर, पोलीपाथर ग्वारीघाट रोड, जबलपुर यह शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं लेखाधिकारी (केन्द्रीय वेतन कार्या.) म. प्र. पावर ट्रांस. कं. लि., जबलपुर के अन्तर्गत कार्या. लेखाधिकारी (के.वे.का.) म. प्र. पा. ट्रा. कं. लि., जबलपुर में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक एवं शासकीय रिकॉर्ड में मेरा नाम सुनील कुमार महार लिखा है. चूंकि महार मेरी जाति है और सोमकुंवर मेरा सरनेम उपजाति है. मैं अपने नाम के साथ जाति के स्थान पर सरनेम याने सुनील कुमार सोमकुंवर लिखना चाहता हूँ. भविष्य में मेरा नाम सुनील कुमार महार के स्थान पर सुनील कुमार सोमकुंवर लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(सुनील कुमार महार)

नया नाम :

(सुनील कुमार सोमकुंवर)

(32-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम पूर्व में शिखर जैन था जो किसी कारणवश परिवर्तित कर हार्दिक जैन किया गया है. अतः इस सूचना के बाद मेरे पुत्र को हार्दिक जैन के नाम से ही जाना व पहचाना जाए.

अनिलकुमार जैन,
16, राजीव नगर, नीमच.

(34-बी.)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं शपथकर्ता जितेन्द्र कुमार अग्रवाल पिता श्री ओमप्रकाश अग्रवाल उम्र 45 वर्ष जाति बनिया निवासी वार्ड क्र. 16, महावीर चौक, बालाघाट तहसील व जिला बालाघाट का स्थायी निवासी हूँ. यहकि मेरी पुत्री कु. आर्या अग्रवाल की कक्षा दसवीं की अंकसूची में पिता का नाम जितेन्द्र अग्रवाल दर्ज है. यह कि जितेन्द्र अग्रवाल व जितेन्द्र कुमार अग्रवाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है. किन्तु मेरी पुत्री कु. आर्या अग्रवाल की कक्षा दसवीं की अंकसूची में मेरा नाम जितेन्द्र कुमार अग्रवाल दर्ज किया जाना उचित व न्यायोचित होगा. अतः मैं, शपथकर्ता द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है.

पुराना नाम :

(जितेन्द्र अग्रवाल)

(38-बी.)

नया नाम :

(जितेन्द्र कुमार अग्रवाल)

CHANGE IN NAME

I, Siddharth Nema S/o Suryahas Nema here by declare that I have change my name as Siddharth Jhavery S/o Suryahas Nema so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

(SIDDHARTH NEMA)

(36-B.)

New Name :

(SIDDHARTH JHAVERY)

Add—Banglow No. 2, 11,
Banglow Colony, Indore (M.P.).

PUBLIC NOTICE

Know all men that the one new partner Smt. Prabha Devi Agrawal has been admitted and five old partners Shri Sandeep Kumar Agrawal, Shri Rajesh Kumar Agrawal, Shri Krishna Kumar Singhal, M/s Rajesh Kumar Agrawal (HUF) and Smt. Manjulata Agrawal have been retired in the registered Partnership firm M/s TRISHUL CONSTRUCTIONS (Reg. No. 45/2003-04 Dated 25th July 2003), MIG-14, Janki Nagar, Jabalpur w.e.f. 11th September, 2007.

It is further informed that the registered office of the firm has been shifted to the new address as: E-7/60, Ashoka Society, Arera Colony, BHOPAL (M. P.).

For M/s Trishul Construction,

Manish Agrawal,

Partner.

Jabalpur: 27th February 2013.

(24-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. अर्थ डवलपर्स एवं बिल्डर्स, सराफा बाजार, ग्वालियर में निम्नलिखित तीन भागीदार थे:—

1. श्री मनीष वर्मा पुत्र श्री बी. बी. वर्मा
2. श्री मनीष वर्मा पुत्र श्री बी. डी. वर्मा
3. श्री कन्हैयालाल टाकवानी पुत्र श्री धनराज टाकवानी

यहकि दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 से श्री मनीष वर्मा पुत्र श्री बी. बी. वर्मा फर्म से पृथक् हो रहे हैं तथा शेष दोनों साझेदारों ने दो नये साझेदार—

1. रिकेश गर्ग पुत्र श्री रामबाबू गर्ग
2. पदमचन्द्र जैन पुत्र भोगी राम जैन

को उक्त दिनांक से फर्म के भागीदारों के रूप में लिया जाना तय किया है.

भवदीय
पदम चन्द्र जैन.

(35-बी.)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 63 (1) के अन्तर्गत)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म मेसर्स दुर्गा सर्विस स्टेशन, भोपाल नामित फर्म की एक भागीदार श्रीमती गीता देवी की दिनांक 30 सितम्बर, 2012 को मृत्यु हो जाने से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गई है तथा श्रीमती ममता सिंह को फर्म की भागीदारी में दिनांक 30 सितम्बर, 2012 से सम्मिलित किया गया है.

वास्ते—मेसर्स दुर्गा सर्विस स्टेशन,
हरि सिंह, (पार्टनर)

1464 क्वार्टर्स, रविशंकर शुक्ला मार्केट,
भोपाल.

भोपाल : दिनांक 15-12-2012.

(25-बी.)

फर्म में भागीदारी परिवर्तन

मेसर्स सरदार जोगेन्द्र सिंह, कॉन्ट्रेक्टर, करेली की पार्टनर श्रीमती महिन्दर कौर एवं कुमारी वीनू मुटरेजा निवासी सुभाष वार्ड, बड़ी जीन करेली, जिला नरसिंहपुर, म. प्र. थे. अतः दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 से अलग होने पर श्री जोगेन्द्र सिंह, श्रीमती हरपाल कौर एवं चरणजीत सिंह निवासी सुभाष वार्ड, बड़ी जीन करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश फर्म के पार्टनर के रूप में कार्यरत रहेंगे.

हरपाल कौर,

पति चरणजीत सिंह,

निवासी सुभाष वार्ड, बड़ी जीन करेली,

जिला नरसिंहपुर.

(37-बी)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म 'एक्वॉरियस इंक' (पार्टनर्स-अविनाश शर्मा एवं दिशा अविनाश शर्मा), 42, मालवीय नगर, भोपाल का सम्पूर्ण व्यवसाय दिनांक 1 अप्रैल, 2012 को मेसर्स 'एक्वॉरियस प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड', एफ-7, 42, मालवीय नगर, भोपाल (म. प्र.) में स्थानांतरित हो चुका है एवं फर्म 'एक्वॉरियस इंक' का विघटन दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को हो गया है.

FOR AQUARIUS INC.

AVINASH SHARMA,

Partner.

(33-B.)

विविध निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल, 2013

क्र.जी.बी. 5/ (वि-1)/2013-2014/1505.—शासकीय केन्द्रीय/क्षेत्रीय मुद्रणालय, भोपाल/ग्वालियर की दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक एवं इन्दौर/रीवा की दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2014 तक में एकत्रित समस्त सफेद कागज की रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटके के विक्रय हेतु दोहरी लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत (पृथक्-पृथक् लिफाफे में तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा अंकित कर) मुहरबन्द निविदा दिनांक 16 मई, 2013 को अपरान्ह 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र शर्तें एवं अनुबन्ध को वेबसाईट www.tenders.gov.in एवं www.govtpressmp.nic.in पर रखा गया है।

निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में दिनांक 15 मई, 2013 सायं 4.00 बजे तक राशि रुपये 500/- नगद जमा कर प्राप्त की जा सकती है। वेबसाईट से डाऊनलोड की गई निविदा के साथ रुपये 500/- की डी. डी. संलग्न करना अनिवार्य होगा। डाक से निविदा प्रपत्र मंगाने हेतु रुपये 600/- (रुपये छः सौ) का राष्ट्रीयकृत/अनुसूची बैंक का बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम से भेजें जो दिनांक 9 मई, 2013 तक प्राप्त हो जाना चाहिए। डाक से निविदा प्रपत्र प्राप्त होने में, विलम्ब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 16 मई, 2013 अपरान्ह 1.00 बजे निर्धारित है। तकनीकी निविदाएं दिनांक 16 मई, 2013 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जावेंगी।

यू. एन. सिन्हा,
संयुक्त नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(232)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि “श्री शक्तिधाम सेवा संस्थान न्यास” द्वारा श्री मधुकर हटवार, निवासी मिनाल रेसीडेंसी, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांकअप्रैल, 2013 को विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

- | | | |
|------------------|----|------------------------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम | .. | “श्री शक्तिधाम सेवा संस्थान न्यास” |
| 2. अचल सम्पत्ति | .. | निरंक |
| 3. चल सम्पत्ति | .. | 3,000/- |

सुनील दुबे,
रजिस्ट्रार.

(230)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा, जिला सागर

जारी, दिनांक 30 मार्च, 2013

रा. प्र. क्र. 45 बी/121 वर्ष 2012-13

मौजा मोकलमऊ प.ह.नं.-114,
तहसील बण्डा, जिला सागर, म. प्र.

राधेश्याम पिता स्व. बैजनाथ प्रसाद दुबे,
निवासी ग्राम मोकलमऊ, तहसील बण्डा, जिला सागर, मध्यप्रदेश

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

सर्व-साधारण को इशतहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक राधेश्याम पिता बैजनाथ प्रसाद दुबे निवासी मोकलमऊ, तहसील बण्डा, जिला सागर द्वारा मौजा ग्राम मोकलमऊ प.ह.नं. 114 तहसील बण्डा में स्थित मंदिर श्री देव ठाकुर मंदिर के नाम से स्थित भूमि खसरा नंबर 196, 197, 235, 250, 254, 332, 333, 656, 760, 761, 800 कुल 11 मेडे रकबा क्रमशः 0.160, 0.760, 0.710, 1.300, 0.140, 0.750, 0.030, 0.550, 0.760, 0.610, 0.870 कुल रकबा 6.640 हे. भूमि जो बैजनाथ प्रसाद पिता आधार प्रबंधक कलेक्टर, सागर पता सा. देह भूमि स्वामी दर्ज हैं, को राधेश्याम पिता स्व. बैजनाथ प्रसाद दुबे के नाम (मोहत्तमकार नियुक्त दर्ज) किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सक्षम में स्वयं अथवा अपने वैद्य प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. वाद म्याद निकलने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का गौर नहीं किया जावेगा तथा आपत्ति मान्य नहीं होगी न ही सुनवाई की जावेगी.

इशतहार मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

पेशी दिनांक 29 अप्रैल, 2013.

नारायण सिंह ठाकुर,
अनुविभागीय अधिकारी.

(231)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 12 अप्रैल, 2013

प्र. क्र. /बी-113/2012-13.

प्रारूप-चार

[नियम- 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन,
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रतिनिधि अध्यक्ष अवंतिका कृषि गो रक्षा ट्रस्ट श्री अनिल भट्ट पिता श्री जगन्नाथ निवासी जी-98, महाश्वेतानगर, उज्जैन द्वारा अवंतिका कृषि गो रक्षा ट्रस्ट का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21 मई, 2013 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 21 मई, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और मेरे कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	..	अवंतिका कृषि गो रक्षा ट्रस्ट, उज्जैन.
कार्यालय	..	77 एल. आई. जी.-II इंदिरानगर, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
चल सम्पत्ति	..	आवेदन-पत्र अनुसार रुपये 5,001/- नगद.

आर. एस. मीना,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(218)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, मंदसौर

मन्दसौर, दिनांक 28 मार्च, 2013

क्र. /बफा/नवम/स.श्र.मं./2013/409.—प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ-4 (ए)/5/2011/ए-16, दिनांक 8 जुलाई, 2011 द्वारा प्रदेश की 219 नगर परिषदों में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 प्रभावशील किया गया है, जिसमें सीतामऊ नगर परिषद् भी सम्मिलित है.

मैं, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा-13 की उपधारा-3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सीतामऊ नगर परिषद् के लिये लोक हित में साप्ताहिक बंद का दिन "रविवार" घोषित करती हूँ.

मेघना भट्ट,

सहायक श्रमायुक्त.

(225)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना

सतना, दिनांक 19 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2013/351.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2012/1110, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 द्वारा संस्था हरिजन आदिवासी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्यादित, पनिहाई, पंजीयन क्रमांक 250, दिनांक 19 सितम्बर, 1996 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री सुजीत सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त

अधिकारों को प्रयोग करते हुए हरिजन आदिवासी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्यादित, पनिहाई, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 250, दिनांक 19 सितम्बर, 1996 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 19 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(219)

सतना, दिनांक 19 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2013/352. — कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2012/1112, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 द्वारा संस्था पत्थर एवं रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, खूझा, पंजीयन क्रमांक 65, दिनांक 31 जनवरी, 1992 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री सुजीत सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए पत्थर एवं रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, खूझा, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 65, दिनांक 31 जनवरी, 1992 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 19 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(219-A)

सतना, दिनांक 19 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2013/353. — कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2012/572, दिनांक 10 मई, 2012 द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित खम्हारिया तिवारियान, पंजीयन क्रमांक 313, दिनांक 29 जून, 1999 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री गोहचन्द पटेल, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित खम्हारिया तिवारियान, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 313, दिनांक 29 जून, 1999 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 19 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(219-B)

सतना, दिनांक 19 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/355. — महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, नजीराबाद, पंजीयन क्रमांक 527, दिनांक 25 मई, 2005 है, के आदेश

क्रमांक 792, दिनांक 28 मई, 2010 से परिसमापन में लाया जाकर श्री राजेश श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था, परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अतः सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./792, दिनांक 28 मई, 2010 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., नजीराबाद का पंजी. क्रमांक 527, दिनांक 25 मई, 2005 को पुनर्जीवित करता हूँ.

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ.—

1. श्रीमती फरीदा बेगम अध्यक्ष
2. श्रीमती जहां आरा बेगम उपाध्यक्ष
3. श्रीमती नूरनिशा बेगम सदस्य
4. श्रीमती शिवा खान सदस्य
5. श्रीमती राहत बेगम सदस्य
6. श्रीमती सलमा बेगम सदस्य
7. श्रीमती अलताफ जहां सदस्य
8. श्रीमती नाजिया सदस्य
9. श्रीमती अनवरी सदस्य
10. श्रीमती रेहाना सदस्य
11. श्रीमती अख्तर बेगम सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 19 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

संजय नायक,
उप-पंजीयक.

(219-C)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 5 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2013/क्यू.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक/परि./2011/106, होशंगाबाद, दिनांक 20 जनवरी, 2012 द्वारा मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परि. आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डूडूगांव	2197, दि. 30-7-1983	1834, दिनांक 09-11-2000
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कांसाखेडी	2212, दि. 29-9-1983	1815, दिनांक 27-11-2000

1	2	3	4
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भमेडी	2203, दि. 30-7-1983	1818, दिनांक 08-11-2000
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नन्दरवाडा	2282, दि. 14-10-1987	1819, दिनांक 08-11-2000
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरलाय	2135, दि.06-08-1982	1029, दिनांक 11-07-2001
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भैसादेह	2358, दि. 22-9-1991	1026, दिनांक 11-07-2001
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चांदौन	2233, दि. 12-10-1984	1258, दिनांक 22-08-2000

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि सात दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

पूर्व परिसमापक द्वारा भी पूर्व में उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को विधिवत दो माह की सूचना दी गई है किन्तु किसी भी दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः अंतिम सात दिवस की सूचना पुनः दी जा रही है.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 5 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(220)

आर. एस. जाट,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

होशंगाबाद, दिनांक 5 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2013/क्यू.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक/परि./2011/106, होशंगाबाद, दिनांक 20 जनवरी, 2012 द्वारा मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परि. आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निमसाडिया	2143, दि. 06-10-1982	834, दिनांक 11-06-2009
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डांगीवाडा	2234, दि. 22-10-1983	836, दिनांक 11-06-2009
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तीखड	2142, दि. 06-10-1982	837, दिनांक 11-06-2009
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोटलाखेडी	2275, दि. 14-10-1987	1017, दिनांक 04-07-2009
5.	मत्स्य उद्योग सहकारी समिति, चाटुआ	2510, दि. 27-10-1995	1022, दिनांक 04-7-2009
6.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति, पिपरियाकला	2529, दि. 05-12-1995	1023, दिनांक 04-7-2009
7.	नवीन चर्म उद्योग सहकारी समिति, पालाखेडी	2543, दि. 11-01-1996	1025, दिनांक 04-7-2009
8.	एस. सी. एस.टी. गिट्टी रेत खदान सहकारी समिति, टेमलाकला	2388, दि. 25-03-1995	1478, दिनांक 07-9-2000
9.	मिनिस्ट्रियल कर्म. गृह निर्माण सहकारी समिति, होशंगाबाद	26, दि. 25-02-1965	505, दिनांक 26-04-2007

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि सात दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये गये समझे जावेंगे.

पूर्व परिसमापक द्वारा भी पूर्व में उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को विधिवत दो माह की सूचना दी गई है किन्तु किसी भी दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः अंतिम सात दिवस की सूचना पुनः दी जा रही है.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 5 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(221)

एन. एल. कुशवाह,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

होशंगाबाद, दिनांक 5 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2013/क्यू—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत पूर्व में समय-समय पर प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित तिलहन उत्पादक सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक/परि./2011/106, होशंगाबाद, दिनांक 20 जनवरी, 2012 द्वारा मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परि. आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	लघु वेतन कर्म. गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2272, दि. 08-10-1987	1076, दिनांक 24-09-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन दिनांक से सात दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि सात दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये गये समझे जावेंगे.

पूर्व परिसमापक द्वारा भी पूर्व में उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को विधिवत दो माह की सूचना दी गई है किन्तु किसी भी दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः अंतिम सात दिवस की सूचना पुनः दी जा रही है.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 5 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(222)

जी. पी. दीवान,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 4 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/331.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हुसैनपुर, तहसील कैलारस, पंजीयन क्रमांक 767, दिनांक 30 जून, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/827, दिनांक 27 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री एच. एस. राणा, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ, ग्वालियर मुख्यालय मुरैना को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री एच. एस. राणा, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियाँ-देनदारियाँ शेष नहीं हैं।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 4 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(223)

मुरैना, दिनांक 4 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/332.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रजौधा, तहसील कैलारस, पंजीयन क्रमांक.....दिनांक 30 नवम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/827, दिनांक 27 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री एच. एस. राणा, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ, ग्वालियर मुख्यालय मुरैना को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री एच. एस. राणा, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियाँ-देनदारियाँ शेष नहीं हैं।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 4 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(223-A)

मुरैना, दिनांक 4 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/333.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राकतपुर, तहसील जौरा, पंजीयन क्रमांक 716, दिनांक 7 नवम्बर, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/827, दिनांक 27 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री रज्जाक खान, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ, ग्वालियर मुख्यालय मुरैना को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री रज्जाक खान, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियाँ-देनदारियाँ शेष नहीं हैं।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 4 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(223-B)

मुरैना, दिनांक 4 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/334.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुदावली, तहसील जौरा, पंजीयन क्रमांक 1233, दिनांक 10 जून, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/827, दिनांक 27 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री रज्जाक खान, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ, ग्वालियर मुख्यालय मुरैना को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री रज्जाक खान, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियाँ-देनदारियाँ शेष नहीं हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 4 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(223-C)

मुरैना, दिनांक 4 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/335.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरली, तहसील कैलारस, पंजीयन क्रमांक 836, दिनांक 27 जनवरी, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/827, दिनांक 27 अगस्त, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री एच. एस. राणा, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ, ग्वालियर मुख्यालय मुरैना को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री एच. एस. राणा, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियाँ-देनदारियाँ शेष नहीं हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज आदेश दिनांक से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 4 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(223-D)

उपेन्द्र सिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 433, दिनांक 27 फरवरी, 2012 द्वारा महाराजा परस्पर सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1475, दिनांक 21 जनवरी, 1998 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(224)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1079, दिनांक 28 मई, 2012 गोल्डन सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1620, दिनांक 6 नवम्बर, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(224-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2444, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 द्वारा विजेता सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 758, दिनांक 17 जुलाई, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(224-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2046, दिनांक 3 सितम्बर, 2010 द्वारा विक्रम साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1513, दिनांक 28 दिसम्बर, 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश शेर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(224-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1163, दिनांक 31 जुलाई, 2009 द्वारा आकाश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ढाबलाहर्दू जिसका पंजीयन क्रमांक 1600, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. के. राय, वरि. सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(224-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 264, दिनांक 6 फरवरी, 2008 द्वारा वन खेतीहर मजदूर कामगार सहकारी संस्था मर्या., निपानिया, तहसील नागदा जिसका पंजीयन क्रमांक 1094, दिनांक 15 अप्रैल, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री नरसिंह कनेल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(224-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 273, दिनांक 6 फरवरी, 2008 द्वारा आकाश गंगा सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1438, दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनायक राजुरकर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक. को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(224-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2442, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 द्वारा जागृति साख सहकारी संस्था मर्या., नागदा जिसका पंजीयन क्रमांक 1008, दिनांक 30 मई, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(224-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2443, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 द्वारा मंगलम परस्पर सहकारी साख संस्था मर्या., नागदा जिसका पंजीयन क्रमांक 1466, दिनांक 23 सितम्बर, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री नरसिंह कनेल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(224-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2046, दिनांक 3 सितम्बर, 2010 द्वारा सुलभ साहित्य एवं कला प्रकाशन सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 889, दिनांक 23 सितम्बर, 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश शेर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 3 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(224-I)

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 13 मार्च, 2013

आजाद मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., संजीत, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 157, दिनांक 10 फरवरी, 1964 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2013/1786, दिनांक 1 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री राजेश अग्रवाल, उप-अंकेक्षक कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

आजाद मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., संजीत की पूर्व अध्यक्ष द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की गई. संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में रहना एवं उसे पुनर्जीवित करना मेरे मत से उचित है. अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला मंदसौर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आजाद मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., संजीत, जिला मंदसौर को इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक /परि./2013/1786, दिनांक 1 फरवरी, 2013 को निरस्त करते हुए इस शर्त पर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ कि संस्था एक माह के भीतर सभी अक्रियाशील सदस्यों का निष्कासन करे तथा मत्स्य महासंघ के नियमों का पालन करे. संस्था के आगामी कार्य संचालन हेतु निम्नांकित सदस्यों की प्रबन्धकारिणी कमेटी आगामी 03 माह के लिये नामांकित की जाती है. कमेटी निम्नानुसार है:—

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. श्री मुबारिक पिता मुन्नु खॉ | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमति जमीलाबाई पति हमीद हुसैन | सदस्य |
| 3. श्री शब्बीर खॉ पिता घिसे खॉ | सदस्य |
| 4. श्री हसन खॉ पिता नारू खॉ | सदस्य |
| 5. श्री राजेश अग्रवाल | सदस्य |

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226)

मन्दसौर, दिनांक 13 मार्च, 2013

मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बसई, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 182, दिनांक 20 फरवरी, 1968 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2013/1788, दिनांक 1 फरवरी, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री टी. आर. गुन्द्रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बसई की पूर्व अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की गई. संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में रहना एवं उसे पुनर्जीवित करना मेरे मत से उचित है. अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला मंदसौर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बसई, जिला मंदसौर को इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक /परि./2013/1788, दिनांक 1 फरवरी, 2013 को निरस्त करते हुए इस शर्त पर संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ कि संस्था एक माह के भीतर सभी अक्रियाशील सदस्यों का निष्कासन करे तथा मत्स्य महासंघ के नियमों का पालन करे. संस्था के आगामी कार्य संचालन हेतु निम्नांकित सदस्यों की प्रबन्धकारिणी कमेटी आगामी 03 माह के लिये नामांकित की जाती है. कमेटी निम्नानुसार है:—

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. श्री कन्हैयालाल पिता समदाजी | अध्यक्ष |
| 2. श्री बगदीराम पिता जड़ावचन्द | सदस्य |
| 3. श्री देवीलाल पिता मोतीजी | सदस्य |
| 4. श्री नन्दा पिता थावरजी | सदस्य |
| 5. श्री टी. आर. गुन्द्रावत | सदस्य |

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-A)

मन्दसौर, दिनांक 28 फरवरी, 2013

पंचमुखी बालाजी फल, फुल, साग, सब्जी एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., निपानिया मेघराज, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 837, दिनांक 29 अगस्त, 2001 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1265/परि./04, दिनांक 16 फरवरी, 2004 एवं संशोधित आदेश क्र./30/परि./10, दिनांक 5 जनवरी, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. जैन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(226-B)

मन्दसौर, दिनांक 28 फरवरी, 2013

भारत हरिजन मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., उदलाखेड़ी, तहसील गरोठ, जिला मंदसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 719, दिनांक 13 जून, 1994 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2009/228, दिनांक 11 फरवरी, 2009 एवं संशोधित आदेश क्र./परि./848/12, दिनांक 4 अगस्त, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. एल. बामनिया, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता जिला मन्दसौर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

भारत हरिजन मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., उदलाखेड़ी के परिसमापक श्री एस. एस. बामनिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की गई. संस्था के सदस्यों के हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में रहना एवं उसे पुनर्जीवित करना मेरे मत से उचित है. अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला मंदसौर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए भारत हरिजन मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., उदलाखेड़ी, जिला मंदसौर को इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक /परि./2009/228, दिनांक 11 फरवरी, 2009 एवं क्र./848/परि./12, दिनांक 4 अगस्त, 2012 को निरस्त करते हुए संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ तथा संस्था के आगामी कार्य संचालन हेतु निम्नांकित सदस्यों की प्रबन्धकारिणी कमेटी आगामी 03 माह के लिये नामांकित की जाती है. कमेटी निम्नानुसार है:—

1. श्री परसराम भैरूजी	अध्यक्ष
2. श्री तुलसीराम मांगीलाल	सदस्य
3. श्री जगदीश भाणाजी	सदस्य
4. श्री प्रकाश सेवा जी	सदस्य
5. श्री एस. एल. बामनिया	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-C)

मन्दसौर, दिनांक 28 फरवरी, 2013

तिलहन सहकारी संस्था मर्या., धमनार, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 473, दिनांक 19 सितम्बर, 1988 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1253/परि./09, दिनांक 31 जुलाई, 2009 एवं संशोधित आदेश क्र./1896/परि./10, दिनांक 4 नवम्बर, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश

सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सुश्री विपिन बड़गोती, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(226-D)

मन्दसौर, दिनांक 28 फरवरी, 2013

माधव महेन्द्र फल, फूल, साग, सब्जी एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., दलौदा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 831, दिनांक 30 जून, 2000 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1447/परि./08, दिनांक 26 सितम्बर, 2008 एवं संशोधित आदेश क्र./1870/परि./12, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सुश्री विपिन बड़गोती, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(226-E)

मन्दसौर, दिनांक 31 जनवरी, 2013

गोल्डन ग्रीन हार्टिकल्चर सहकारी संस्था मर्या., गरोट, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 750, दिनांक 27 मार्च, 1995 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/345, दिनांक 12 मार्च, 2004 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(226-F)

मन्दसौर, दिनांक 30 मार्च, 2013

जनता प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., भानपुरा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 529, दिनांक 16 जनवरी, 1991 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/2458/परि./96, दिनांक 6 सितम्बर, 1996 एवं संशोधित आदेश क्र./870/परि./12, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एल. वधवा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(226-G)

मन्दसौर, दिनांक 30 मार्च, 2013

महिला बुनकर सहकारी समिति मर्या., गांधीसागर, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 92, दिनांक 15 मई, 1992 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1450/परि./08, दिनांक 26 सितम्बर, 2008 एवं संशोधित आदेश क्र./870/परि./12, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एल. वधवा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(226-H)

मन्दसौर, दिनांक 30 मार्च, 2013

मल्हारगढ़ फल, फूल, सब्जी एवं मसाला औषधि उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मल्हारगढ़, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 764, दिनांक 14 जून, 1995 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1393/परि./08, दिनांक 17 सितम्बर, 2008 एवं संशोधित आदेश क्र./1890/परि./10, दिनांक 30 अक्टूबर, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री राजेश अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(226-I)

मन्दसौर, दिनांक 30 मार्च, 2013

शिवना सिंचाई सहकारी समिति मर्या., नाहरगढ़, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 187, दिनांक 25 नवम्बर, 1989 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/159/परि./08, दिनांक 30 जनवरी, 2008 एवं संशोधित आदेश क्र./33/परि./10, दिनांक 5 जनवरी, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. जैन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जिसमें स्वत्व सम्बन्धी कोई कार्यवाही शेष नहीं है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं सहमत हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भारत सिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ कि संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

भारत सिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

(226-J)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सिवनी

सिवनी, दिनांक 2 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उ.प.सि./परि./302.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./13/143, दिनांक 29 जनवरी, 2013 के द्वारा देशबंधु मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, सर्रा, पं. क्र. 635, विकासखण्ड घंसौर, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का उपयोग करते हुए देशबंधु मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, सर्रा, पं. क्र. 635, विकासखण्ड घंसौर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घंसौर को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 2 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जाता है.

(227)

सिवनी, दिनांक 2 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उ.प.सि./परि./303.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./13/145, दिनांक 29 जनवरी, 2013 के द्वारा श्री प्रभात मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, धूमा माल, पं. क्र. 638, विकासखण्ड घंसौर, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के

द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का उपयोग करते हुए श्री प्रभात मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, धूमा माल, पं. क्र. 638, विकासखण्ड घंसौर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घंसौर को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 2 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जाता है.

(227-A)

सिवनी, दिनांक 2 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उ.प.सि./परि./304.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./13/144, दिनांक 29 जनवरी, 2013 के द्वारा जीवन ज्योति मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, बगदरी, पं. क्र. 627, विकासखण्ड घंसौर, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का उपयोग करते हुए जीवन ज्योति मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, बगदरी, पं. क्र. 627, विकासखण्ड घंसौर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घंसौर को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 2 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जाता है.

(227-B)

सिवनी, दिनांक 2 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उ.प.सि./परि./305.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./13/141, दिनांक 29 जनवरी, 2013 के द्वारा पायलीघाट मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, पायलीघाट, पं. क्र. 636, विकासखण्ड घंसौर, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का उपयोग करते हुए पायलीघाट मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, पायलीघाट, पं. क्र. 636, विकासखण्ड घंसौर को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घंसौर को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 2 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जाता है.

(227-C)

सिवनी, दिनांक 2 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उ.प.सि./परि./306.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्र./उपसि/परि./13/142, दिनांक 29 जनवरी, 2013 के द्वारा भीमगढ बांध विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, सिमरिया, पं. क्र. 726, विकासखण्ड छपारा, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण उपलब्ध न होने से संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना-पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का उपयोग करते हुए भीमगढ बांध विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, सिमरिया, पं. क्र. 726, विकासखण्ड छपारा को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 2 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जाता है.

(227-D)

आर. एन. सिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना

गुना, दिनांक 30 मार्च, 2013

क्र./परि./2013/341.—बंसुधरा कृषि बीज उत्पादक एवं विपणन प्रक्रिया सहकारी संस्था, गुना जिसका पंजीयन क्रमांक 1037, दिनांक 30 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/1445, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 दिया गया था एवं आरोपों का उत्तर प्राप्ति 30 दिवस के अन्दर चाहा गया था. संस्था की ओर से इस कार्यालय को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 02 माह के अन्दर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(228)

उमेश कुमार तिवारी,
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	मानव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	D.R.B./698/15-4-1996	2238, दि. 27-06-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिए लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 4 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(229)

ओ. पी. मालवीय,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय उप-आयुक्त सहाकारिता एवं उप-पंजीयक, सहाकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहाकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2012/1568.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./77/1487, दिनांक 24 मई, 1977 के द्वारा आदिवासी बहुउद्देशीय सहाकारी समिति मर्या., चिल्लोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 624, दिनांक 3 फरवरी, 1959 है, को मध्यप्रदेश सहाकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री सी. एल. डोंगरे, सहाकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहाकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहाकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहाकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहाकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था आदिवासी बहुउद्देशीय सहाकारी समिति मर्या., चिल्लोर, पंजीयन क्रमांक 624, दिनांक 3 फरवरी, 1959 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जायेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(214-E)

बैतूल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहाकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2012/1569.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./70/3287, दिनांक 11 नवम्बर, 1970 के द्वारा बहुउद्देशीय सहाकारी समिति मर्या., देसली, जिसका पंजीयन क्रमांक 844, दिनांक 19 जून, 1959 है, को मध्यप्रदेश सहाकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के परिसमापक श्री सी. एल. डोंगरे, सहाकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहाकारी संस्थाएं, बैतूल से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहाकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहाकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहाकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था बहुउद्देशीय सहाकारी समिति मर्या., देसली, पंजीयन क्रमांक 844, दिनांक 19 जून, 1959 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जायेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(214-F)

बैतूल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहाकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी./2012/1570.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./06/1568, दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 के द्वारा गुप्तेश्वर विपणन सहाकारी समिति मर्या., आठनेर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1339, दिनांक 18 नवम्बर, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहाकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एस. डी. परतेती, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहाकारी संस्थाएं, बैतूल

से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतएव मैं, दौलतराम गोडाम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था गुप्तेश्वर विपणन सहकारी समिति मर्या., आठनेर, पंजीयन क्रमांक 1339, दिनांक 18 नवम्बर, 1995 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जायेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

दौलतराम गोडाम,
उप-पंजीयक.

(214-G)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

पुलिस कर्म. प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./339/28 नवम्बर, 1976 है, तहसील देवास, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर श्री एच. एस. तिवारी, उप-अंकेक्षक को आदेश क्रमांक 2371, दिनांक 16 अगस्त, 2010 से परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 9 दिसम्बर, 2012 आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा-3 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस कर्म. प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, देवास, तहसील देवास, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे।

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

(215)

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

जय भेरू बाबा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., निमलाय, तहसील, सत्वास जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1206, दिनांक 4 अक्टूबर, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3293, दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 24 जनवरी, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 29 जनवरी, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

यह भी आदेश किया जाता है कि श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(215-A)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

कमला प्राथ. उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास.

द्वारा:—अध्यक्ष/प्रभारी.

पंजीयन क्रमांक 933, दिनांक 16 मार्च, 2001

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 04-05 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रिकॉर्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 4 मार्च, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना प्रति उत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त संबंध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के संबंध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(215-B)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

मनोरमा प्राथ. उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास

द्वारा:—अध्यक्ष/प्रभारी.

पंजीयन क्रमांक 1090, दिनांक 7 अक्टूबर, 2004

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 04-05 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रिकॉर्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 4 मार्च, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना प्रति उत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त संबंध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के संबंध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(215-C)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

अरिहन्त प्राथ. उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास

द्वारा:—अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1097, दिनांक 25 मई, 2005

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 04-05 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रिकॉर्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 4 मार्च, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना प्रति उत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त संबंध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के संबंध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(215-D)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

मैना प्राथ. उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास

द्वारा:—अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 940, दिनांक 10 मई, 2001.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 05-06 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रिकॉर्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 4 मार्च, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना प्रति उत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त संबंध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के संबंध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(215-E)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

गजानन्द कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., कराडियागदा

द्वारा:—अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1226, दिनांक 8 मार्च, 2010

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 02 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रिकॉर्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 4 मार्च, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना प्रति उत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त संबंध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के संबंध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(215-F)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

श्रद्धा कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., जगदीशपुर

द्वारा:—अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1224, दिनांक 8 मार्च, 2010

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 02 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रिकॉर्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 4 मार्च, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना प्रति उत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त संबंध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के संबंध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(215-G)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

पक्षीधन कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., खेडा

द्वारा:—अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1221, दिनांक 6 मार्च, 2010

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 02 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रिकॉर्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 4 मार्च, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना प्रति उत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करे.

यदि उक्त संबंध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के संबंध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते है और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(215-H)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

चन्द्रकान्ता कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., हाटपिपल्या

द्वारा:—अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1225, दिनांक 8 मार्च, 2010

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 02 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रिकॉर्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 4 मार्च, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना प्रति उत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करे.

यदि उक्त संबंध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के संबंध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते है और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(215-I)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दीनदयाल कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., दौलतपुर

द्वारा:—अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1220, दिनांक 6 मार्च, 2010

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 02 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रिकॉर्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 4 मार्च, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना प्रति उत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करे.

यदि उक्त संबंध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के संबंध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(215-J)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

अटल कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., सोनकच्छ

द्वारा:—अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1222, दिनांक 6 मार्च, 2010

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 02 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रिकॉर्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 4 मार्च, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना प्रति उत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करे.

यदि उक्त संबंध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के संबंध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

के. एन. त्रिपाठी,

उप-पंजीयक

(215-K)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2013-वैशाख 13, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 16 जनवरी, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.
2. **जुताई.**—जिला बैतूल में गन्ने की रोपाई व श्योपुर, रीवा व कटनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, रीवा, उमरिया, देवास, मण्डला व खरगौन में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
4. **फसल स्थिति.**—जिला डिण्डोरी में पाला गिरने से दलहन फसल राहर, मसूर, मटर 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की क्षति हुई है.
5. **कटाई.**—जिला बुरहानपुर, भोपाल में फसल तुअर की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, उमरिया, राजगढ़, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 16 जनवरी, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, तुअर. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों. (2) सुधरी हुई फसल.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिली, मूँगमोठ, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ, सोयाबीन अधिक. उड़द कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुंगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शादौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. ..
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
7. मकसूदनगढ़	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, आलू समान. (2) उपरोक्त फसलें समान	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) जवा, चना अधिक. गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
*जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. शाहगढ़	..				
11. मालथोन	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) ..		
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
*जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ, मसूर, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊांज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
8. नईगढ़ी	..				
9. सेमरिया	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोहागपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ब्यौहारी	..		(2) ..		
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना, मसूर अधिक. राहर, कोदों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, अरहर अधिक. गेहूँ, चना, अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	..		राई-सरसों समान.		
3. मानपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझोली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) अरहर, अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) गेहूँ, सरसों अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..		
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. सीतामऊ	..				
7. धुन्धड़का	..				
8. शामगढ़	..				
9. संजीत	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..		
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन अधिक. ज्वार, मक्का, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, मक्का, गेहूँ अधिक. चना समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थोंदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. राणापुर 5. झाबुआ				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. .. 8. पर्याप्त.
1. भामरा 2. जोवट 3. अलीराजपुर 4. कट्ठीवाड़ा 5. सोण्डवा 6. उदयगढ़				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक, गेहूँ, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई- सरसों, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. सनावद 3. महेश्वर 4. सेगांव 5. करही 6. खरगोन 7. गोगावां 8. कसरावद 9. मुल्ठान 10. भगवानपुरा 11. भीकनगांव 12. झिरन्या				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला पूर्ण-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना, ज्वार, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		मक्का, मूँगफली, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		राई-सरसों.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..		(2) ..		
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		मटर कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ना की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बैतूल	..				
4. मुलताई	..				
5. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) गेहूँ, मूंगमोठ, तुअर अधिक. चना, मटर, मसूर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) गेहूँ, उड़द, मूंगमोठ सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों, जौ, मटर सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, बटरा, मसूर, अलसी.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. पाला गिरने से दलहन फसलों राहर, मसूर, मटर को 15 से 20% की क्षति हुई है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. डिण्डोरी	..		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्गा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. मोहखेड़ा	..				
11. हरई	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
7. धनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-सरसों, मटर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला पन्ना, सतना, शहडोल, बड़वानी, रायसेन, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(217)